


GRAPES-3 Telescope: Aim, Features, Location and Key Discoveries



GRAPES-3 Telescope is one of the most modern and sophisticated cosmic ray observatories for observing cosmic ray of high energy source in outer space. Located in Ooty, Tamil Nadu, India, this scientific facility plays a crucial role in understanding cosmic rays, solar activity, and space weather.

The GRAPES-3 Telescope is a telescope constructed by the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) and is being developed and operated by the TIFR team. GRAPES-3 is a massive air shower detector and muon telescope which is being used to study some of the highest-energy phenomena in the universe. It has made important contributions to global research on cosmic rays and improved India's position in astroparticle physics over the years.

Key Characteristics of GRAPES-3 Telescope

- At Ooty in Tamil Nadu, India.
- Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) operates it.

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

- It is the third generation in 2000 of the GRAPES-3 experiment.
- Researches phenomena and high-energy cosmic rays.
- Constructs the world's largest muon telescope.
- Picks up large air showers produced by cosmic rays.
- Assists in observing space weather and geomagnetic storms.
- Supports research in astrophysics at the international level.

What is the GRAPES-3 Telescope?

GRAPES is a Gamma-Ray Astronomy Phase-3, with an emphasis on peV energy. The observatory is especially suited to explore teraelectronvolt (TeV) to petaelectronvolts (PeV) cosmic rays.

Primary high-energy cosmic particles penetrate the atmosphere and collide with molecules of the air, creating cascades of secondary particles called extensive air showers. The GRAPES-3 Telescope is able to detect and analyse these showers to trace back the origin, energy and properties of cosmic rays.

It combines cutting-edge particle detection technologies with sophisticated data analysis systems, allowing scientists to conduct research with precision on galactic and solar phenomena.

GRAPES-3 Telescope: Overview Table

Particulars	Details
Full Name	Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS Phase-3
Popular Name	GRAPES-3 Telescope
Location	Ooty, Tamil Nadu, India
Altitude	Approximately 2,200 metres above sea level
Operating Institution	Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)
Year of Commissioning	2000
Primary Objective	Study of cosmic rays and space weather
Major Components	Air shower array and muon telescope
Detection Range	TeV to PeV energy range

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

Scientific Field

Astroparticle Physics

The goal and objectives of GRAPES-3 Telescope

The first goal of the GRAPES-3 Telescope is to gain knowledge about high energy cosmic rays nature and origin. Besides that, it aims at enhancing the understanding of the nature of solar activity and how it affects the Earth.

Major Objectives of GRAPES-3 Telescope

- Explore the sources and acceleration mechanisms of cosmic rays.
- Observe the distribution of energy and types of cosmic particles.
- Study extensive air showers produced in Earth's atmosphere.
- Observe solar flare/geomagnetic storm variations.
- Discuss space weather phenomena that can impact satellites and power systems.
- Look for signatures of physics that are new to theory.

Previous Year Questions (PYQs)

Year	Exam	Question	Answer
2024	UPSC CSE Prelims	With reference to the Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), consider the following statements: 1. It is located near Pune in Maharashtra.2. It is operated by the National Centre for Radio Astrophysics.3. It is used for observing radio waves from celestial objects. Which of the statements given above are correct? (a) 1 and 2 only(b) 2 and 3 only(c) 1 and 3 only(d) 1, 2 and 3	(d) 1, 2 and 3
2020	UPSC CSE Prelims	The term “Thirty Meter Telescope” sometimes seen in the news refers to: (a) A space-based infrared observatory(b) A next-generation ground-based optical telescope(c) A radar system used for asteroid tracking(d) A deep-sea observatory	(b) A next-generation ground-based optical telescope
2016	UPSC CSE Prelims	The term ‘Event Horizon’, often seen in the news, is associated with: (a) Black holes(b) Exoplanets(c) Asteroids(d) Comets	(a) Black holes

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

2015	UPSC CSE Prelims	LIGO, which is often in the news, is associated with the detection of: (a) Neutrinos(b) Dark matter(c) Gravitational waves(d) Cosmic rays	(c) Gravitational waves
2013	UPSC CSE Prelims	Which of the following pairs is/are correctly matched? 1. Astronomical Observatory — Kodaikanal2. Radio Telescope — Arecibo3. Optical Telescope — Mount Abu Select the correct answer using the code given below:(a) 1 only(b) 1 and 2 only(c) 2 and 3 only(d) 1, 2 and 3	(d) 1, 2 and 3

Conclusion on GRAPES-3 Cosmic Ray Telescope

GRAPES-3 Telescope is an unprecedented scientific facility which revolutionized cosmic ray research in India. Due to its strategic location, sophisticated muon detector system, and 24/7 monitoring, it is one of the indispensable observatories for measuring and tracking space weather and high-energy particles. The GRAPES-3 Telescope is poised to be a key player in the field of cosmic ray studies and our understanding of solar-terrestrial interactions in the coming years as scientists delve deeper into the secrets of the universe.

GRAPES-3 Observatory Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. What does GRAPES-3 stand for?

GRAPES-3 stands for **Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS Phase-3**.

Q2. Where is the GRAPES-3 Telescope located?

The **GRAPES-3 Telescope** is located in Ooty, Tamil Nadu, at an altitude of approximately 2,200 metres above sea level.

Q3. What is the main aim of the GRAPES-3 Telescope?

The primary aim of the **GRAPES-3 Telescope** is to study high-energy cosmic rays, solar activity, and space weather phenomena.

Q4. Which institution operates the GRAPES-3 Telescope?

The observatory is operated by the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR).

Q5. Why is the GRAPES-3 telescope important?

The **GRAPES-3 Telescope** helps scientists understand cosmic rays, monitor geomagnetic storms, and improve space weather forecasting.

Savarkar Filed 10 Mercy Petitions to British Authorities, Grandnephew Tells Court



Savarkar Filed: On Monday (June 15), a Pune-based member of the Congress and a former minister, Khatron Lalji Kalyane, at a special MP/MLA court in Pune, said that Savarkar had to have submitted 10 mercy petitions to the British government to have his sentence reduced.

Satyaki Savarkar, the grandnephew of Savarkar, who has filed a defamation case against Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi, also told Special Judge Amol Shinde during cross-examination that other freedom fighters refused to file clemency petitions before the British, reported

Savarkar submitted Mercy Petitions to British Authorities: Key Highlights

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

- A court has been told that Savarkar had filed 10 mercy petitions while under the British during his lifetime, at his grandson's hands.
- It was made in the midst of ongoing legal proceedings with regard to Savarkar's legacy.
- The issue has raised a long-standing historical and political debate once again.
- The reasons and impact of the petitions is controversial among historians.
- But this time, the petitions are said to be planned and have been protested against differently by supporters and critics.
- The controversy has left its imprint on the running of public discourse concerning the freedom movement in India.

Who Was Vinayak Damodar Savarkar?

Vinayak Damodar Savarkar, popularly known as Veer Savarkar, was a freedom fighter, author, social reformer, and political ideologue.

Key Facts About Savarkar

Particulars	Details
Full Name	Vinayak Damodar Savarkar
Popular Name	Veer Savarkar
Born	28 May 1883
Birthplace	Bhagur, Maharashtra
Organisation	Abhinav Bharat Society
Imprisonment	Cellular Jail, Andaman and Nicobar Islands
Year of Release	1924 (with restrictions)
Notable Work	Hindutva: Who Is a Hindu?
Died	26 February 1966

Why Did Savarkar File Mercy Petitions to British Authorities?

- In 1911, Vinayak Damodar Savarkar was sentenced twice to two years each in the Cellular Jail, Andaman & Nicobar Islands.
- He was subjected to extreme treatment in prison, which consisted of solitary confinement and forced labour.

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

- Savarkar had made many mercy petitions from 1911 to 1920 for the release and the “relaxation” of his sentence.
- Savarkar's petitions contained a plea for his release to assist him to make a constructive contribution to society and public life.
- Supporters believe the petitions were a tactic to keep the nationalists' movement going beyond prison.
- They are seen by critics as pleas to be let off and work with British officials.
- In 2020, the Ministry of Culture had informed Parliament that the copies of these petitions were not available with the Andaman administration but that they were available in the archival sources.

Previous Year Questions (PYQs) on Veer Savarkar

Year	Exam	Question	Answer
2020	NDA (GAT)	Who among the following organised, in 1904, a secret society of revolutionaries named ‘Abhinav Bharat’? (a) Khudiram Bose (b) Shyamji Krishna Verma (c) Har Dayal (d) V. D. Savarkar	(d) V. D. Savarkar
2023	UPSC CDS (General Studies)	Who among the following is the author of the book <i>The Indian Struggle, 1920–1942</i>? (a) Vinayak Damodar Savarkar (b) Subhas Chandra Bose (c) Vallabhbhai Patel (d) Sarat Chandra Bose	(b) Subhas Chandra Bose
2019	MPSC	Who authored the book <i>The First War of Indian Independence, 1857</i>? (a) R. C. Majumdar (b) V. D. Savarkar (c) Bipin Chandra (d) S. N. Sen	(b) V. D. Savarkar

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

- 201 MPSC 8 **Which organisation was founded by Vinayak Damodar Savarkar and Ganesh Damodar Savarkar?** (c) Abhinav Bharat Society
- (a) Anushilan Samiti
(b) Ghadar Party
(c) Abhinav Bharat Society
(d) Hindustan Republican Association
- 201 State PSC 7 **Vinayak Damodar Savarkar was imprisoned in which of the following jails during British rule?** (b) Cellular Jail
- (a) Yerwada Jail
(b) Cellular Jail
(c) Alipore Jail
(d) Mandalay Jail

Conclusion: Savarkar File Mercy Petitions to British Authorities

Debates on the reasons for Savarkar to approach the British authorities with mercy petitions have sparked considerable historical and political debate. Blanket opinion on the objectionable purpose of the petitions submitted by Vinayak Damodar Savarkar during his incarceration at the Cellular Jail seems to vary. These petitions see interesting support as a means to secure liberalisation and engage in National activities outside the prison, while their critics see it as a plea for clemency. With the court statement by the grand nephew of Savarkar's recent, there has been an interest in revisiting history and comprehending what was happening around the entire colonial period. Finally, a dispassionate evaluation calls for a careful study of the historical record, the conditions in prison and the intricacies of the freedom movement in India.

FAQs: Savarkar Filed Mercy Petitions to British Authorities

1. How many mercy petitions did Savarkar file to British authorities?

According to historical records cited during recent court proceedings, Vinayak Damodar Savarkar submitted **10 mercy petitions** during his imprisonment under British rule.

2. When did Savarkar file the mercy petitions?

Savarkar reportedly filed multiple mercy petitions between **1911 and 1920** while serving his sentence in the Cellular Jail.

3. Why did Savarkar file mercy petitions to British authorities :

Supporters argue that the petitions were a strategic move to secure release and continue public work, while critics interpret them as requests for clemency.

4. Where was Savarkar imprisoned?

Savarkar was imprisoned in the **Cellular Jail in the Andaman and Nicobar Islands**, also known as *Kala Pani*.

5. What was Savarkar's sentence?

In 1911, British authorities sentenced Savarkar to **two life terms amounting to 50 years of imprisonment** for his involvement in revolutionary activities.

Tenth Schedule Explained: Party Merger Rules Under the Anti-Defection Law



Anti-Defection Law: The Tenth Schedule Explained article offers a comprehensive perspective on the anti-defection provisions of the Constitution and the regulations related to the amalgamation of political parties in India. The Tenth Schedule, added to the Constitution by the

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

52nd Constitutional Amendment Act, 1985, has been included to prevent political defections and provide stability in the elected governments.

Over the years, the anti-defection law has played a crucial role in maintaining party discipline. But it has also stimulated discussions of the effect on legislative independence and presiding officers' powers. The use of the provisions concerning mergers of parties should be understood, since they are frequently key to a government's success at both the federal and state levels.

Important Points To Remember About Tenth Schedule

- The Tenth Schedule was inserted in the Constitution by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985.
- It has provisions about the anti-defection law.
- The purpose of the law is to stop elected representatives from switching parties for personal or political gain.
- Disqualification cases are decided by the Speaker or Chairman.
- A merger is valid when two-thirds of a party in the legislature agree.
- In 2003, the exemption for splits was removed by the 91st Constitutional Amendment Act.
- The Speaker's decision is, however, subject to judicial review.

Tenth Schedule Explained: Overview Table

Particulars	Details
Constitutional Provision	Tenth Schedule
Added By	52nd Constitutional Amendment Act, 1985
Popular Name	Anti-Defection Law
Amendment Strengthening the Law	91st Constitutional Amendment Act, 2003
Objective	Prevent political defections
Decision-Making Authority	Speaker of Lok Sabha/Legislative Assembly or Chairman of Rajya Sabha/Legislative Council
Merger Requirement	Support of at least two-thirds of legislators
Judicial Review	Permitted by courts
Applies To	Members of Parliament and State Legislatures

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

What is the Tenth Schedule?

The section and Tenth Schedule Explained starts from the Constitutional foundation.

The Constitution was amended to insert the Tenth Schedule in a bid to deter legislators from changing political parties after elections. Constant floor crossing had caused political regimes to wobble and citizens to lose faith in democracy.

Final Version: The anti-defection law is a detailed provision that applies to Members of Parliament (MPs) and Members of State Legislatures (MLAs and MLCs).

The legislators under this act will be disqualified from their membership if they leave the membership of their political party or vote contrary to the vote cast by him/her against a party whip without permission

Why Was the Anti-Defection Law Introduced?

- Before 1985, India experienced regular political desertion, disturbing vote-based solidarity.
- Personal gain also means ministerial posts and power: individual legislators frequently switched allegiance.
- This trend of constant party switching was summed up in the phrase “Aaya Ram Gaya Ram.”
- These fickle choices induced shaky governments and the persistent crumbling of country assemblies.
- Opportunistic coalition-building trumped loyalty to any politics
- In response to this, Parliament enacted the Tenth Schedule (Anti-Defection Law) by the 52nd Constitutional Amendment Act (1985).
- It was meant to help foster political stability and strengthen party discipline.
- One of the main things that law prohibits is corruption, horse-trading and immoral political bargaining.
- It preserves the mandate entrusted to it by voters and sustains a parliamentary democracy.

PYQs Table: Tenth Schedule (Anti-Defection Law)

Year	Exam	Question	Options	Answer
2023	UPSC Prelims	Who decides disqualification under the Tenth Schedule?	(a) President (b) PM (c) Speaker/Chairman (d) EC	(c) Speaker/Chairman

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

202 2	UPSC Prelims	Valid merger condition under the Tenth Schedule?	(a) 1/2 members (b) 1/3 members (c) 2/3 members (d) Unanimous	(c) 2/3 members
202 1	UPSC Prelims	Speaker's decision on disqualification can be:	(a) Final (b) Challenged in SC (c) Approved by President (d) EC review	(b) Challenged in SC
202 0	UPSC Prelims	Main objective of Anti-Defection Law?	(a) Coalition growth (b) Independence (c) Stability & discipline (d) More parties	(c) Stability & discipline
201 9	UPSC Prelims	Which amendment removed the split provision?	(a) 42nd (b) 52nd (c) 91st (d) 97th	(c) 91st Amendment
201 8	State PCS	Disqualification happens when?	(a) Follows whip (b) Votes with party (c) Voluntarily gives up party (d) Takes permission	(c) Voluntarily gives up party

Landmark Judgments on the Anti-Defection Law (Tenth Schedule)

Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992)

The Tenth Schedule has also been held to be constitutionally valid by the Supreme Court, and the need for the Anti-Defection Law as a check against political perversion is imperative for maintaining stability in India and party discipline. The Court also clarified that the Speaker has no final authority over it and is subject to judicial review by the High Courts and the Supreme Court in case of mala-fide, bias or violation of procedure.

Swami Prasad Maurya v. Rajendra Singh Rana (2007)

In its judgment, the Supreme Court stated that a Speaker acts as a quasi-judicial authority under the Tenth Schedule, which should not be influenced by pre-determined conclusions and work with complete neutrality. The Court held that matters relating to defection should be determined only by reference to constitutional principles to resist political pressure and ensure neutrality between the parties.

Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly (2020)

The Supreme Court tackled the issue of procrastination in disqualification cases. The move pointed out that this kind of delay defeats the very purpose for which an Anti-Defection Law has been enacted. For this reason, Speakers are to decide on defection petitions within a reasonably rational time-frame (preferably three months).

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

CONCLUSION. TENTH SCHEDULE ANTI-DEFECTION LAW EXPLAINED

The Anti-Defection Law was incorporated in the national constitution under the Tenth Schedule for not only political stability but also due to ethical concerns of compartmentalising vote banks. It deters self-interested behaviour and frees up representatives to toe the party line. The law enforces the will of the voters, ensuring that legislators remain true to their political party or risk disqualification. In the long run, it has been better defined by the judgment of the Supreme Court through judicial review, impartiality of the Speaker and decisions in a timely manner. In a nutshell, the Tenth Schedule performs an important function in ensuring stability and integrity of India's parliamentary system.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What is the Tenth Schedule of the Indian Constitution?

The Tenth Schedule contains provisions related to the anti-defection law and seeks to prevent elected representatives from changing political parties.

2. When was the Tenth Schedule introduced?

The Tenth Schedule was introduced through the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985.

3. What is the two-thirds rule under the anti-defection law?

A party merger is considered valid when at least two-thirds of the members of a legislative party agree to the merger.

4. Who decides disqualification cases under the Tenth Schedule?

The Speaker or Chairman of the concerned House decides disqualification petitions.

5. Can the Speaker's decision be challenged in court?

Yes. The Supreme Court has held that the Speaker's decision is subject to judicial review.

HINDI

GRAPES-3 टलास्काप: उद्देश्य, विशेषताएं, स्थान और प्रमुख खोजें

GRAPES-3 Telescope: Aim, Features, Location and Key Discoveries



Aim



Features



Location



Key Discoveries



GRAPES-3 टेलीस्कोप अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा स्रोत से निकलने वाली कॉस्मिक किरणों का अवलोकन करने वाली सबसे आधुनिक और परिष्कृत कॉस्मिक किरण वेधशालाओं में से एक है। भारत के तमिलनाडु राज्य के ऊटी में स्थित यह वैज्ञानिक सुविधा कॉस्मिक किरणों, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

GRAPES-3 टेलीस्कोप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) द्वारा निर्मित एक टेलीस्कोप है, जिसका विकास और संचालन TIFR की टीम द्वारा किया जा रहा है। GRAPES-3 एक विशाल एयर शॉवर डिटेक्टर और म्यूऑन टेलीस्कोप है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड में कुछ उच्चतम ऊर्जा वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। इसने कॉस्मिक किरणों पर वैश्विक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वर्षों से खगोल कण भौतिकी में भारत की स्थिति को मजबूत किया है।

GRAPES-3 टेलीस्कोप की प्रमुख विशेषताएं

- ऊटी, तमिलनाडु, भारत में।
- इसका संचालन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) करता है।
- यह वर्ष 2000 में GRAPES प्रयोग की तीसरी पीढ़ी है।

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

- यह विश्व का सबसे बड़ा गामा-किरण खगोल विज्ञान प्रयोगशाला है।
- दुनिया का सबसे बड़ा म्यूऑन टेलीस्कोप बनाता है।
- यह ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा उत्पन्न होने वाली बड़ी वायु बौछारों को ग्रहण करता है।
- अंतरिक्ष मौसम और भूचुंबकीय तूफानों के अवलोकन में सहायता करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खगोल भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को समर्थन प्रदान करता है।

GRAPES-3 टेलीस्कोप क्या है?

GRAPES गामा-किरण खगोल विज्ञान का तीसरा चरण है, जिसमें peV ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह वेधशाला टेराइलेक्ट्रॉनवोल्ट (TeV) से पेटाइलेक्ट्रॉनवोल्ट (PeV) तक की ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

प्राथमिक उच्च-ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कण वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और हवा के अणुओं से टकराते हैं, जिससे द्वितीयक कणों की एक श्रृंखला बनती है जिसे व्यापक वायु बौछारों कहा जाता है। GRAPES-3 टेलीस्कोप इन बौछारों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम है ताकि ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति, ऊर्जा और गुणों का पता लगाया जा सके।

यह अत्याधुनिक कण पहचान प्रौद्योगिकियों को परिष्कृत डेटा विश्लेषण प्रणालियों के साथ जोड़ता है, जिससे वैज्ञानिकों को आकाशगंगा और सौर घटनाओं पर सटीक शोध करने में मदद मिलती है।

GRAPES-3 टेलीस्कोप: अवलोकन तालिका

विवरण	विवरण
पूरा नाम	गामा किरण खगोल विज्ञान PeV ऊर्जा चरण-3
लोकप्रिय नाम	ग्रेप्स-3 टेलीस्कोप
जगह	ऊटी, तमिलनाडु, भारत
ऊंचाई	समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर ऊपर
संचालक संस्था	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर)
चालू करने का वर्ष	2000
प्राथमिक ऑब्जेक्ट	ब्रह्मांडीय किरणों और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन
प्रमुख घटक	एयर शावर ऐरे और म्यूऑन टेलीस्कोप
पता लगाने की सीमा	TeV से PeV ऊर्जा रेंज
वैज्ञानिक क्षेत्र	खगोलकण भौतिकी

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

GRAPES-3 क्लासकाय का लक्ष्य आर उद्देश्य

GRAPES-3 टेलीस्कोप का पहला लक्ष्य उच्च ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय किरणों की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य सौर गतिविधि की प्रकृति और पृथ्वी पर इसके प्रभावों की समझ को बढ़ाना भी है।

GRAPES-3 टेलीस्कोप के प्रमुख उद्देश्य

- ब्रह्मांडीय किरणों के स्रोतों और त्वरण तंत्रों का अन्वेषण करें।
- ऊर्जा के वितरण और ब्रह्मांडीय कणों के प्रकारों का अवलोकन करें।
- पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली व्यापक वायु बौछारों का अध्ययन करें।
- सौर ज्वाला/भूचुंबकीय तूफान में होने वाले बदलावों का अवलोकन करें।
- अंतरिक्ष मौसम संबंधी उन घटनाओं पर चर्चा करें जो उपग्रहों और विद्युत प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं।
- भौतिकी के उन संकेतों की तलाश करें जो सिद्धांत के लिए नए हों।

पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

वर्ष	परीक्षा	सवाल	उत्तर
2024	यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा	जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। 2. इसका संचालन राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र द्वारा किया जाता है। 3. इसका उपयोग खगोलीय पिंडों से आने वाली रेडियो तरंगों के अवलोकन के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3	(घ) 1, 2 और 3
2020	यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा	समाचारों में अक्सर दिखाई देने वाला शब्द "तीस मीटर दूरबीन" निम्नलिखित को संदर्भित करता है: (a) अंतरिक्ष आधारित अवरक्त वेधशाला (b) अगली पीढ़ी का जमीनी ऑप्टिकल दूरबीन (c) क्षुद्रग्रहों की निगरानी के लिए प्रयुक्त रडार प्रणाली (d) गहरे समुद्र की वेधशाला	(ख) अगली पीढ़ी का जमीनी ऑप्टिकल दूरबीन
2016	यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा	समाचारों में अक्सर दिखाई देने वाला शब्द 'इवेंट होराइजन' निम्नलिखित से संबंधित है: (a) ब्लैक होल (b) बाह्यग्रह (c) क्षुद्रग्रह (d) धूमकेतु	(ए) ब्लैक होल

Current Affairs Capsule for 17 June 2026
(CLASS24)

- 201 यूपीएससी **LIGO**, जा अक्सर खबरा म रहता ह, इनम्नालाखत का पता (सा) गुरुत्वाकर्षण
5 सीएसई लगाने से संबंधित है:(a) न्यूट्रिनो (b) डार्क मैटर (c) गुरुत्वाकर्षण तरंगें
प्रारंभिक तरंगें (d) ब्रहमांडीय किरणें
परीक्षा
- 201 यूपीएससी निम्नलिखित में से कौन सा/से जोड़ा सही ढंग से मेल खाता (घ) 1, 2 और 3
3 सीएसई है/खाते हैं? 1. खगोलीय वेधशाला — कोडाइकनाल 2. रेडियो
प्रारंभिक दूरबीन — अरेसिबो 3. प्रकाशीय दूरबीन — माउंट आबू नीचे दिए
परीक्षा गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: (a) केवल 1 (b) केवल
1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

GRAPES-3 कॉस्मिक रे टेलीस्कोप पर निष्कर्ष

GRAPES-3 टेलीस्कोप एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक सुविधा है जिसने भारत में ब्रहमांडीय किरण अनुसंधान में क्रांति ला दी है। अपने रणनीतिक स्थान, अत्याधुनिक म्यूऑन डिटेक्टर प्रणाली और चौबीसों घंटे निगरानी के कारण, यह अंतरिक्ष मौसम और उच्च-ऊर्जा कणों के मापन और निगरानी के लिए अपरिहार्य वेधशालाओं में से एक है। GRAPES-3 टेलीस्कोप आने वाले वर्षों में ब्रहमांडीय किरण अध्ययन और सौर-पृथ्वी अंतःक्रियाओं की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि वैज्ञानिक ब्रहमांड के रहस्यों को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं।

GRAPES-3 वेधशालाअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. GRAPES-3 का पूरा नाम क्या है?

GRAPES-3 का अर्थ हैगामा किरण खगोल विज्ञान **PeV** ऊर्जा चरण-3.

प्रश्न 2. GRAPES-3 टेलीस्कोप कहाँ स्थित है?

दग्रेप्स-3 टेलीस्कोपयह स्थान तमिलनाडु के ऊटी में समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

प्रश्न 3. GRAPES-3 टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका प्राथमिक उद्देश्यग्रेप्स-3 टेलीस्कोपइसका उद्देश्य उच्च-ऊर्जा वाली ब्रहमांडीय किरणों, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करना है।

प्रश्न 4. GRAPES-3 टेलीस्कोप का संचालन कौन सी संस्था करती है?

इस वेधशाला का संचालन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3. GRAFES-3 अंतरिक्ष यान गहनपूरण है :

दग्रेप्स-3 टेलीस्कोपयह वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय किरणों को समझने, भूचुंबकीय तूफानों की निगरानी करने और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने में मदद करता है।

सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष दया याचिका की 10 याचिकाएं दायर की थीं, उनके पोते ने अदालत को बताया।



सावरकर के खिलाफ याचिका दायर: सोमवार (15 जून) को पुणे स्थित कांग्रेस के सदस्य और पूर्व मंत्री, खतरों लालजी कल्याणे ने पुणे की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत में कहा कि सावरकर को अपनी सजा कम कराने के लिए ब्रिटिश सरकार को 10 दया याचिकाएं प्रस्तुत करनी पड़ी थीं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने जिरह के दौरान विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे को बताया कि अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था।

सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों को दया याचिकाएं सौंपीं: मुख्य बातें

- अदालत को बताया गया है कि सावरकर ने अपने जीवनकाल में अंग्रेजों के अधीन रहते हुए अपने पोते के हाथों 10 दया याचिकाएं दायर की थीं।

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

- इस मुद्दे ने एक बार फिर से लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है।
- इन याचिकाओं के कारणों और प्रभाव को लेकर इतिहासकारों के बीच विवाद है।
- लेकिन इस बार, याचिकाएं सुनियोजित बताई जा रही हैं और समर्थकों और आलोचकों द्वारा अलग-अलग तरीके से इनका विरोध किया जा रहा है।
- इस विवाद ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सार्वजनिक चर्चा के संचालन पर अपनी छाप छोड़ी है।

विनायक दामोदर सावरकर कौन थे?

विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे।

सावरकर के बारे में प्रमुख तथ्य

विवरण	विवरण
पूरा नाम	Vinayak Damodar Savarkar
लोकप्रिय नाम	Veer Savarkar
जन्म	28 मई 1883
जन्मस्थल	Bhagur, Maharashtra
संगठन	Abhinav Bharat Society
कैद होना	सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
रिलीज़ का साल	1924 (प्रतिबंधों के साथ)
उल्लेखनीय कार्य	हिंदुत्व: हिंदू कौन है?
मृत	26 फरवरी 1966

सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष दया याचिकाएं क्यों दायर कीं?

- 1911 में, विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में दो-दो साल की सजा दो बार सुनाई गई थी।
- उन्हें जेल में बेहद कठोर यातनाएं दी गईं, जिनमें एकांत कारावास और जबरन श्रम शामिल था।
- सावरकर ने 1911 से 1920 के बीच अपनी रिहाई और सजा में छूट के लिए कई दया याचिकाएं दायर की थीं।
- सावरकर की याचिकाओं में उनकी रिहाई की गुहार शामिल थी ताकि उन्हें समाज और सार्वजनिक जीवन में रचनात्मक योगदान देने में मदद मिल सके।

Current Affairs Capsule for 17 June 2026
(CLASS24)

- ... रणनीति थी।
- आलोचकों का मानना है कि ये याचिकाएं उन्हें बरी करने और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ काम करने की गुहार हैं।
- 2020 में, संस्कृति मंत्रालय ने संसद को सूचित किया था कि इन याचिकाओं की प्रतियां अंडमान प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन वे अभिलेखीय स्रोतों में उपलब्ध थीं।

वीर सावरकर पर पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

वर्ष	परीक्षा	सवाल	उत्तर
2020	एनडीए (जीएटी)	निम्नलिखित में से किसने 1904 में 'अभिनव भारत' नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का आयोजन किया था? (ए) खुदीराम बोस (b) Shyamji Krishna Verma (c) Har Dayal (घ) वी. डी. सावरकर	(घ) वी. डी. सावरकर
2023	यूपीएससी सीडीएस (सामान्य अध्ययन)	निम्नलिखित में से कौन इस पुस्तक का लेखक है? भारतीय संघर्ष, 1920-1942? (a) Vinayak Damodar Savarkar (ख) सुभाष चंद्र बोस (सी) वल्लभभाई पटेल (घ) शरत चंद्र बोस	(ख) सुभाष चंद्र बोस
2019	एमपीएससी	इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, 1857? (ए) आर. सी. मजूमदार (ख) वी. डी. सावरकर (सी) बिपिन चंद्र (घ) एस. एन. सेन	(ख) वी. डी. सावरकर
2018	एमपीएससी	विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? (a) Anushilan Samiti (ख) गदर पार्टी (c) Abhinav Bharat Society (घ) हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन	(c) Abhinav Bharat Society

Current Affairs Capsule for 17 June 2026
(CLASS24)

201 7	राज्य पाएससा	ब्राटश शासनकाल क दारान विनायक दामादर सावरकर को निम्नलिखित में से किस जेल में कैद किया गया था?	(ख) काशकाय जेल
		(ए) येरवडा जेल (ख) कोशिकीय जेल (सी) अलीपुर जेल (घ) मंडले जेल	

निष्कर्ष: सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष दया याचिका दायर की

सावरकर द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों से दया याचिकाएँ दायर करने के कारणों पर हुई बहसों ने ऐतिहासिक और राजनीतिक स्तर पर काफी विवाद को जन्म दिया है। सेलुलर जेल में कैद के दौरान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के आपत्तिजनक उद्देश्य पर व्यापक मत भिन्न-भिन्न हैं। इन याचिकाओं को उदारीकरण हासिल करने और जेल के बाहर राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल होने के साधन के रूप में समर्थन मिलता है, जबकि आलोचक इसे दया की गुहार मानते हैं। सावरकर के पोते के हालिया अदालती बयान के बाद, इतिहास का पुनरावलोकन करने और पूरे औपनिवेशिक काल के दौरान क्या घट रहा था, इसे समझने में रुचि बढ़ी है। अंततः, निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों, जेल की स्थितियों और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की जटिलताओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन आवश्यक है।

एफएक्यूएस: सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष दया याचिकाएं दायर की थीं

1. सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष कितनी दया याचिकाएँ दायर कीं?

हालिया अदालती कार्यवाही के दौरान उद्धृत ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, विनायक दामोदर सावरकर ने प्रस्तुत किया 10 दया याचिकाएँ ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी कैद के समय।

2. सावरकर ने दया याचिकाएं कब दायर कीं?

खबरों के मुताबिक, सावरकर ने कई दया याचिकाएं दायर की थीं। 1911 और 1920 सेलुलर जेल में अपनी सजा काटते हुए।

3. सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष दया याचिकाएँ क्यों दायर कीं?

समर्थकों का तर्क है कि ये याचिकाएं रिहाई सुनिश्चित करने और सार्वजनिक कार्यों को जारी रखने के लिए एक रणनीतिक कदम थीं, जबकि आलोचक इन्हें दया याचिका के रूप में देखते हैं।

4. सावरकर को कहाँ कैद किया गया था?

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

दसवा अनुसूचा क बार म याद रखन चाय महत्वपूण।बदु

- दसवीं अनुसूची को 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- इसमें दलबदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान हैं।
- इस कानून का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए दल बदलने से रोकना है।
- अयोग्यता के मामलों का निर्णय अध्यक्ष या चेयरमैन द्वारा किया जाता है।
- किसी विलय को तभी वैध माना जाता है जब विधायिका में किसी दल के दो-तिहाई सदस्य सहमत हों।
- 2003 में, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा विभाजन के लिए दी गई छूट को हटा दिया गया था।
- हालांकि, अध्यक्ष के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

दसवांकार्यक्रम का विवरण: अवलोकन तालिका

विवरण	विवरण
संवैधानिक प्रावधान	दसवीं अनुसूची
द्वारा जोड़ा गया	52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985
लोकप्रिय नाम	दल-बदल विरोधी कानून
कानून को सुदृढ़ बनाने वाला संशोधन	91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003
उद्देश्य	राजनीतिक दल-बदल को रोकें
निर्णयदाता अधिकारी	लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा/विधानसभा के अध्यक्ष
विलय की आवश्यकता	कम से कम दो-तिहाई विधायकों का समर्थन
न्यायिक समीक्षा	न्यायालयों द्वारा अनुमत
पर लागू होता है	संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य

दसवीं अनुसूची क्या है?

इस खंड और दसवीं अनुसूची की व्याख्या संवैधानिक आधार से शुरू होती है।

चुनाव के बाद विधायकों द्वारा राजनीतिक दल बदलने से रोकने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करके दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लगातार दल-बदल के कारण राजनीतिक व्यवस्थाएं अस्थिर हो गई थीं और नागरिकों का लोकतंत्र पर से विश्वास कम हो गया था।

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

अंतिम संशोधन प्रणाली के तहत कानून संशोधन आयोग (सीएआर) द्वारा संसद के विधानमंडलों के सदस्यों (विधायकों और एमएलसी) पर लागू होता है।

इस अधिनियम के तहत विधायकों को उनकी सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वे अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं या बिना अनुमति के पार्टी विधि के विरुद्ध डाले गए वोट के विपरीत मतदान करते हैं।

दल-बदल विरोधी कानून क्यों लाया गया था?

- 1985 से पहले, भारत में नियमित रूप से राजनीतिक दल-बदल होता था, जिससे मतदान आधारित एकजुटता भंग होती थी।
- व्यक्तिगत लाभ का अर्थ मंत्री पद और सत्ता भी होता है: व्यक्तिगत विधायक अक्सर अपनी निष्ठा बदलते रहते थे।
- लगातार पार्टी बदलने की इस प्रवृत्ति को "आया राम गया राम" वाक्यांश में संक्षेपित किया गया था।
- इन अस्थिर फैसलों के कारण अस्थिर सरकारें बनीं और देश की विधानसभाओं का लगातार विघटन होता रहा।
- अवसरवादी गठबंधन निर्माण ने किसी भी राजनीति के प्रति निष्ठा को पछाड़ दिया।
- इसके जवाब में, संसद ने 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) को अधिनियमित किया।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना और पार्टी अनुशासन को मजबूत करना था।
- कानून जिन मुख्य चीजों पर रोक लगाता है उनमें भ्रष्टाचार, सौदेबाजी और अनैतिक राजनीतिक सौदेबाजी शामिल हैं।
- यह मतदाताओं द्वारा सौंपे गए जनादेश की रक्षा करता है और संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखता है।

पूर्व प्रश्नोत्तर तालिका: दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून)

वर्ष	परीक्षा	सवाल	विकल्प	उत्तर
2023	यूपीएस सी प्रीलिम्स	दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है?	(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानमंत्री (ग) अध्यक्ष/चेयरमैन (घ) चुनाव आयोग	(ग) अध्यक्ष/अध्यक्ष
2022	यूपीएस सी प्रीलिम्स	दसवीं अनुसूची के अंतर्गत विलय की वैध शर्त क्या है?	(क) 1/2 सदस्य (ख) 1/3 सदस्य (ग) 2/3 सदस्य (घ) सर्वसम्मति	(ग) 2/3 सदस्य
2021	यूपीएस सी प्रीलिम्स	अयोग्यता पर अध्यक्ष का निर्णय निम्न हो सकता है:	(क) अंतिम (ख) सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई (ग) राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित (घ) चुनाव आयोग द्वारा समीक्षा	(ख) सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
2020	यूपीएस सी प्रीलिम्स	दल-बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है?	(क) गठबंधन का विकास (ख) स्वतंत्रता (ग) स्थिरता और अनुशासन (घ) अधिक दल	(ग) स्थिरता एवं अनुशासन

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

201 9	यूपाएस सी प्रीलिम्स	किस सशाधन न विभाजन प्रावधान को हटाया?	(a) 42वा (b) 52वा (c) 91वा (d) 97वां	(ग) 91वा सशाधन
201 8	राज्य पीसीएस	अयोग्यता कब होती है?	(a) व्हिप का पालन करता है (b) पार्टी के साथ वोट करता है (c) स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देता है (d) अनुमति लेता है	(ग) स्वेच्छा से पक्षकारिता छोड़ देता है

दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) पर ऐतिहासिक फैसले

क्विहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)

सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची को संवैधानिक रूप से वैध माना है और भारत में स्थिरता और दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राजनीतिक विकृति पर अंकुश लगाने हेतु दल-बदल विरोधी कानून की आवश्यकता अनिवार्य है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष को इस पर कोई अंतिम अधिकार नहीं है और दुर्भावना, पक्षपात या प्रक्रिया के उल्लंघन के मामलों में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

Swami Prasad Maurya v. Rajendra Singh Rana (2007)

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के अंतर्गत एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे पूर्व-निर्धारित निष्कर्षों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि दलबदल से संबंधित मामलों का निर्धारण केवल संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दबाव का विरोध किया जा सके और दलों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा (2020)

सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्यता मामलों में विलंब के मुद्दे पर विचार किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की देरी दलबदल विरोधी कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देती है। इसलिए, अध्यक्षों को दलबदल याचिकाओं पर उचित समय सीमा (अधिमानत: तीन महीने) के भीतर निर्णय लेना होगा।

निष्कर्ष: दसवीं अनुसूचीदल-बदल विरोधी कानून की व्याख्या

दल-बदल विरोधी कानून को राष्ट्रीय संविधान की दसवीं अनुसूची में न केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए बल्कि वोट बैंक के विभाजन से संबंधित नैतिक चिंताओं के कारण भी शामिल किया गया था। यह स्वार्थपरक व्यवहार को रोकता है और प्रतिनिधियों को पार्टी लाइन का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। यह कानून मतदाताओं की इच्छा को लागू करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विधायक अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रति वफादार रहें अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लंबे समय में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा संबंधी निर्णयों, अध्यक्ष की निष्पक्षता और समयबद्ध निर्णयों द्वारा इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। संक्षेप में, दसवीं अनुसूची भारत की संसदीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Current Affairs Capsule for 17 June 2026 (CLASS24)

अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न (FAQS)

1. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची क्या है?

दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान हैं और इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक दल बदलने से रोकना है।

2. दसवीं अनुसूची कब लागू की गई थी?

दसवीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से लागू किया गया था।

3. दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत दो-तिहाई का नियम क्या है?

किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत होने पर ही दल विलय को वैध माना जाता है।

4. दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों का निर्णय कौन करता है?

संबंधित सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते हैं।

5. क्या अध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?

जी हां। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।